लायेंगे और नहीं बोलिए तो यहां से सोशल पार्टनर, यह पॉर्टनर जो है इसको काट दीजिए, इसका सोशल लाइफ में बड़ा इम्प्लीकेशन होगा। ऐसी पॉर्टनरशिप कोई नहीं मानेगा कि आपने अकेले डिसीज़न ले लिया, आप लेबर मिनिस्टर हैं, फाइनांस मिनिस्टर ने बजट में बोल दिया हमने डिसीजन हमने लिया है, इंटेशन है। आप हां या ना में बोलिए, आपके पॉर्टनर से बातचीत किए बिना, ऐसा अमेंडमेंट लायेंगे, हां या ना? अगर नहीं बोलेंगे तो रास्ते में मिलेंगे और अगर हां, बोलेंगे तो बातचीत होगी। फिर हम लोग मान जाते हैं, आप एशोरेंस दे दीजिए।

श्री संघ प्रिय गौतमः आप लोग यूनियन की बात करते हैं....**(व्यवधान)**

श्री दीपांकर मुखर्जीः यह मंत्री नहीं हैं। हम इनकी बात नहीं सुनेंगे।...**(व्यवधान)**

श्री संघप्रिय गौतमः जो लोग खेतों में काम करते हैं उनकी चिंता कौन करेगा?

कई माननीय सदस्यः आप करेंगे।

श्री संघप्रिय गौतमः अकेले यूनियन की बातें क्यों करते हो...**(व्यवधान)**

श्री बालकवि बैरागीः सभापति महोदय...**(व्यवधान)**

श्री सभापतिः जवाब मंत्री देंगे, आप क्यों दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)** जवाब मंत्री जी ने देना है, बालकवि बैरागी जी ने नहीं देना। आप अभी मिनिस्टर नहीं बने हैं।

श्री बालकवि बैरागीः महोदय, इस प्रश्न में मुझे कुछ और जोड़ने के लिए बात करनी थी।

श्री नीलोत्पल बसुः मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

श्री शरद यादवः सभापति जी, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसका जवाब मैं दे चुका हूं।

श्री दीपांकर मुखर्जीः आप हां या ना बोल दीजिए।...**(व्यवधान)**

श्री संघ प्रिय गौतमः जवाब दे दिया है।

श्री सभापतिः नैक्स्ट क्वश्चन श्री राजनाथ सिंह "सूर्य"।

वस्तुओं के डुप्लीकेट ब्रांडों पर रोक लगाया जाना

*264. **श्री राजनाथ सिंह "सूर्य":** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाली कंपनियां डुप्लीकेट ब्रांडों की वस्तुओं पर रोक लगाने के लिए एक विशेष प्रतिबंध की मांग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्तमान कानून प्रभावी नहीं है; और

(घ) इस मामले में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शान्ता कुमार): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) सरकार को कम्पनियों द्वारा वस्तुओं के डुप्लीकेट ब्रांडों पर रोक लगाने के लिए विशेष प्रतिबंध की मांग के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 मूलतः व्यापार चिह्न के पंजीकरण और लाइसेंसिंग से संबंधित है। व्यापार चिह्न का पंजीकरण विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक है और खासतौर पर उपभोक्ता मदों के संबंध में ऐसे हजारों व्यापार चिह्नों का उपयोग हो रहा है जो अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हैं।

व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 में व्यापार चिह्न में अन्तर्निहित बौद्धिक सम्पदा की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और इसमें अधिनियम के तहत विभिन्न उपबंधों के जरिए पंजीकृत व्यापार चिह्न धारक के अधिकारों की सुरक्षा के उपबंध शामिल हैं जिनको सिविल/फौजदारी न्यायालयों में उठाए जाने की आवश्यकता होती है। अपने अधिकार की सुरक्षा का पूरा दायित्व व्यापार चिह्न के पंजीकृत मालिक का है।

Ban on duplicate brands of Goods

†*264. SHRI RAJNATH SINGH 'SURYA': Will the Minister of CONSUMERS AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether the companies making consumer goods are demanding for a special ban to check the duplicate brands of the goods;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the present laws are not effective; and

(d) the steps Government propose to take in the matter?

†Original notice of the question was received in Hindi.

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHANTA KUMAR): (a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Government are not aware of any demand from the companies for a special ban to check the duplicate brands of goods.

(b) Does not arise.

(c) and (d) Trade and Merchandise Marks Act, 1958 basically deals with the registration and licensing of Trade Marks. The registration of Trade Mark is purely voluntary and there are thousands of trade marks in use, particularly relating to consumer items, which are not registered under the Act.

The Trade and Merchandise Marks Act, 1958 seeks to protect the intellectual property inherent in a trade mark and includes provisions for safeguarding the rights of the registered trade mark owner through various provisions under the Act which need to be agitated in the civil/criminal court. The onus of seeking to protect his right lie entirely upon the registered holder of the trade mark.

श्री राजनाथ सिंह "सूर्य": माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने पूरी तरह से जो प्रश्न है उससे अपना पल्ला झाड़ लिया है कि इसमें सरकार का कुछ लेना-देना नहीं है, जो कुछ करना या कराना है, वह कंपनी के जो मालिक हैं वे स्वयं कर सकते हैं। सरकार कोई कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। श्रीमन्, मूल प्रश्न यह था कि जो उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाली कंपनियां हैं उन्होंने डुप्लीकेट ब्रांडों की वस्तुओं पर रोक लगाने के लिए विशेष प्रतिबंध की मांग की है या नहीं, मंत्री जी ने इसके जवाब में कहा है कि उनके सामने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। मैं मंत्री जी का ध्यान 22-23 फरवरी को नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित एक वर्कशॉप में जो संकल्प हुआ था जो सरकार को भेजा गया था, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें इस प्रकार की मांग की गई है। वह प्रस्ताव मंत्री जी के पास उपलब्ध है या नहीं, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। श्रीमन्, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि उपभोक्ता मदों के संबंध में ऐसे हजारों व्यापार चिन्हों का उपयोग हो रहा है जो अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हैं और अंत में कहा है कि अपने अधिकारों की सुरक्षा का पूरा दायित्व व्यापार चिन्ह के पंजीकृत मालिक का है। तो जो अनधिकृत ट्रेड मार्क के जरिए या अपने ब्रांड मॉर्क के जरिए चीजों का उत्पादन कर रहे हैं, बेच

रहे हैं, अगर वे किसी प्रकार की धोखाधड़ी करते हैं, जालसाजी करते हैं तो उससे निपटने का दायित्व केवल उनका है जो अधिकृत रूप से कोई काम कर रहे हैं या जो ब्रांड बना रहे हैं। सरकार के सामने कई बार यह प्रश्न उठा है और इस प्रश्न के माध्यम से भी मैंने उसे यहां उठाया है। अनधिकृत ब्रांड के कारणों से जो मानक से रहित वस्तुएं निर्मित की जा रही हैं उन पर रोक लगाने के लिए या उनसे निज़ात दिलाने के लिए क्या किया जा रहा है, इस संबंध में मंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया है, मैं उसका स्पष्टीकरण चाहता हूं?

श्री शांता कुमार: सभापति जी, प्रश्न में कंपनीज ने शिकायत की है या नहीं, यह बात कही गई थी और उसका उत्तर मैंने दिया है कि किसी की ओर से ऐसी शिकायत नहीं आई है। लेकिन इस संबंध में अन्य संगठनों से कई प्रकार की बहुत-सी शिकायतें आती हैं। महोदय, माननीय सदस्य की चिंता बिल्कुल ठीक है कि बाजार मे नकली, जाली और डुप्लीकेट सामान बिकता है और इस संबंध में सरकार भी चिंतित है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस संबंध में कुछ नियम और कानून हैं जिनके द्वारा समय-समय पर सरकार कार्यवाही करती रहती है। एक तो ट्रेड एंड मर्केन्डाइज मार्क्स एक्ट है जिसमें कि कंपनीज अपने ट्रेड मार्क को रजिस्टर करती है और अगर उसका उल्लंघन होता है तो इस एक्ट के द्वारा वे कंपनीज न्याय प्राप्त कर सकती हैं। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है जिसके द्वारा खाद्य वस्तुओं के संबंध में नकली, जाली और मिलावटी सामान बेचने की शिकायतें आती हैं, वहां इस एक्ट के द्वारा कार्यवाही होती है और सजा भी दी जाती है। इसके बाद ब्यूरो आफ इंडियन स्टेंडर्ड एक्ट, 1986 है, जिसके मुताबिक आई०एस०आई० मार्क का जो अन-अथोराइज्ड यूज है, उसको पनिश किया जाता है, लेकिन इसमें सजा का प्रावधान कम है। इसके लिए एक प्रपोजल है कि एक अमेंडमेंट के द्वारा सजा बढ़ाकर उसे और अधिक सख्त बनाने की हम कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त इंडियन पीनल कोड में सेल आफ गुड्स विद फाल्स ट्रेड मार्क, चीटिंग पनिशएबल अंडर सेक्शन 420 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। सभापति जी, कंजूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 के अंतर्गत भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंतर्गत यदि किसी गुड्स में डिफेक्ट या डेफीसिएंसी है तो उस संबंध में भी उपभोक्ता कोर्ट या कंजूमर्स फोरम में जाकर न्याय प्राप्त कर सकता है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस संबंध में बहुत से मामलों में लोगों को न्याय मिला है, लेकिन कंजूमर्स एक्ट की इससे संबंधित धारा में कुछ कमी थी और उसे दूर करने के लिए अभी-अभी इस सदन ने कंजूमर्स प्रोटेक्शन बिल के अंदर एक संशोधन पारित किया है। उसके अंदर हम ने स्पेसिफिक इस सारी बात का समावेश कर लिया है। हमने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर मैनुफैक्चर एंड सेल ऑफ स्पूरियस गुड्स एंड रेंडरिंग स्पूरियस सर्विसेस को डिफाइन भी कर दिया है। इस तरह कंजूमर्स प्रोटेक्टन एक्ट में जो कमी थी, उसे दूर करने के लिए अभी-अभी जो हमने अमेंडमेंट किए हैं और इस माननीय सदन

ने उनको स्वीकार भी कर लिया है। उसमें हमने इस कमी को दूर करने का प्रावधान कर लिया है। सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त हमारी इंडस्ट्री भी इस दिशा में प्रयत्न करती रहती है और उन्होंने भी अपने स्तर पर एक कमेटी बनाई है जो कि नकली, जाली और डुप्लीकेट वस्तुओं के निर्माण को रोकने की दिशा में कोशिश करती रहती है। महोदय, जहां तक कंजूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट है, उसकी धारा में कमी थी जिसे दूर करने के लिए इस माननीय सदन ने संशोधन पारित कर दिया है।

श्री राजनाथ सिंह "सूर्य": श्रीमन्, मंत्री जी ने संशोधन की बात बताई, उसको सुनकर प्रसन्नता हुई, परंतु मैं मंत्री जी का ध्यान एक तथ्य की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि जब कोई इस प्रकार की वस्तु सीज की जाती है, उसके बाद उस को कब्जे में लेने के लिए जो ट्रेड मार्क रजिस्ट्रार है, उसके आदेश के बिना वह कार्य एनफोर्स नहीं होता है और इसी बीच में लोग अपना सामान बदल लेते हैं या हटा लेते हैं। इस तरह यह प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है। इस समस्या को दूर करने के लिए और जो एस०एस०आई० की यूनिट्स फर्जी ब्रांड बनाती हैं और पकड़ी जाती हैं, क्या सरकार उनका लाइसेंस रद्द करने पर विचार करेगी?

श्री शांता कुमार: सभापति महोदय, मैंने जैसा अभी कहा कि जो अमेंडमेंट हम ला रहे हैं, उसमें तो यहां तक भी व्यवस्था है कि to cease manufacture of all hazardous goods; to desist from offering services which are hazardous in nature. तो इस कंजूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट के अमेंडमेंट के अंतर्गत जो माननीय सदस्य की चिंता है, उस सारी चिंता का इसमें समावेश कर लिया गया है और इस माननीय सदन ने उसको पास भी कर दिया है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is Over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Dr. M.S. Swaminathan's recommendations on agricultural sector

*261. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that agricultural scientist, M.S. Swaminathan, has come out with a report containing far reaching recommendations for achieving high growth in agriculture and making the farm produce competitive;

(b) whether the recommended agricultural reforms envisage